



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072025-265052
CG-DL-E-29072025-265052

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3389]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 28, 2025/श्रावण 6, 1947

No. 3389]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 28, 2025/SHRAVANA 6, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2025

का.आ. 3467(अ).— केन्द्र सरकार मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पत्तन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1365 (अ) दिनांक 13 दिसंबर, 2004, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और अधिक संशोधन करती है, अर्थात: -

(1) उक्त अधिसूचना में, तालिका ख में ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए सुरक्षा मानकों में, क्रम संख्या 3 (क) के स्थान पर निम्नलिखित 3 (ए) और 3 (एए) को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

3(ए)	प्रकाश व्यवस्था और प्रकाश संकेतन उपकरणों की स्थापना की आवश्यकता	एआईएस-009/2001	8 अक्टूबर 2014 से 3(क) के कार्यान्वयन की तिथि तक वैध
3(एए)	प्रकाश व्यवस्था और प्रकाश संकेत उपकरणों की स्थापना की आवश्यकता	एआईएस 009 (संशो. 1):2011*	1 अप्रैल 2026

(2) उक्त अधिसूचना में, तालिका ख में ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए सुरक्षा मानकों में, क्रम संख्या 4 के स्थान पर निम्नलिखित 4 और 4 (ए) को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

4	बैटरी चालित वाहन के निर्माण और कार्यात्मक सुरक्षा की आवश्यकताएँ	एआईएस-038/2003	8 अक्टूबर 2014 से 4(क) के कार्यान्वयन की तिथि तक वैध।
4 (ए)	इसकी विद्युत सुरक्षा के संबंध में निष्पादन आवश्यकताएँ	एआईएस-156 (भाग 1) *	1 अप्रैल 2027

(3) उक्त अधिसूचना में, तालिका ख में ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए सुरक्षा मानकों में, क्रम संख्या 6 के स्थान पर निम्नलिखित 6 और 6 (ए) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

6.	बैटरी चालित वाहनों में प्रयुक्त ट्रेक्शन बैटरियाँ	एआईएस-048/2009	8 अक्टूबर 2014 से 6 (ए) के कार्यान्वयन की तिथि तक वैध
6(ए)	रिचार्जैबल विद्युत ऊर्जा भंडारण प्रणाली (आरईईएसएस) की निष्पादन आवश्यकताएँ	एआईएस-156 (भाग 2) *	1 अप्रैल 2027

(4) उक्त अधिसूचना में, तालिका ख में ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए सुरक्षा मानकों में, क्रम संख्या 7 और स्तंभ 1 से 4 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

"8	प्रारंभिक ग्रेडेबिलिटी की न्यूनतम आवश्यकता	एआईएस 003 (संशो. 1):2022	1 अप्रैल 2026
9.	स्पीडोमीटर की स्थापना आवश्यकता	आईएस 11827:2008	1 अप्रैल 2026
10.	चेसिस पर अधिकतम गति का मापन डायनेमोमीटर	एआईएस 041 (संशो. 1): 2015	1 अप्रैल 2026
11.	(क) विंडस्क्रीन की निष्पादन आवश्यकता	आईएस 2553 (भाग 2) (संशो. 1) : 2019*	1 अप्रैल 2026
	(ख) विंडस्क्रीन की निष्पादन आवश्यकता वाइपर	आईएस 15802-:2008*	1 अप्रैल 2026
	(ग) विंडस्क्रीन की निष्पादन आवश्यकता वाईपिंग प्रणाली	एआईएस-054:2004*	1 अप्रैल 2026
12.	नियंत्रण, टेल टेल्स और संकेतकों की निष्पादन आवश्यकता	एआईएस 071 (भाग 1 और भाग 2):2009*	1 अप्रैल 2026
13.	टर्निंग सर्कल डायामीटर की आवश्यकता	आईएस 12222:2011	1 अप्रैल 2026
14.	बाहरी रियर-व्यू मिरर (ओआरवीएम) की स्थापना आवश्यकता	एआईएस-002 (भाग 1) (संशो.2):2023 एवं संशो.1*	1 अप्रैल 2026
15.	बाह्य प्रक्षेपण	आईएस 13942:1994	1 अप्रैल 2026

16.	(क) चालक सीट और (ख) यात्रियों के लिए पैर रखने की जगह की आवश्यकता का समग्र आयाम	एआईएस 134:2016*	1 अप्रैल 2027
17.	ईएमआई/ईएमसी के संबंध में निष्पादन आवश्यकता	एआईएस-004 (भाग 3)	1 अप्रैल 2027
18.	(क) ऊर्जा की खपत के संबंध में निष्पादन आवश्यकता	एआईएस 039 (संशो. 1)	1 अप्रैल 2027
	(ख) न्यूनतम सीमा के संबंध में निष्पादन आवश्यकताएँ	एआईएस-040 (संशो. 1)	1 अप्रैल 2027
19.	वाहन की स्थिरता के संबंध में निष्पादन आवश्यकताएँ	इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार।	1 अप्रैल 2027
20.	बंद लूप और एन्क्रिप्शन प्रणाली के संबंध में निष्पादन आवश्यकताएँ	इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार।	1 अप्रैल 2027

["ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए क्रमशः एल5एम और एल5एन श्रेणी के सभी लागू प्रावधानों का पालन किया जाना है।"]

[फा. सं. आरटी-11036/109/2024-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

नोट : मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1365 (अ), दिनांकित 13 दिसंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या का.आ. 359 (अ), दिनांकित 27 जनवरी 2022 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2025

S.O. 3467(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 109 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O.1365(E) dated the 13th December, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely: -

(1) In the said notification, in the Table B Safety Standards for E-rickshaws and E-carts, for serial number 3 (a) substitute the following 3(a) and 3(aa) namely:-

3(a)	Installation requirement for lighting and light signaling devices	AIS-009/2001	8 th October 2014 valid up to date of implementation of 3(aa)
3(aa)	Installation requirement of lighting and light signaling devices	AIS 009 (Rev.1):2011*	1st April 2026

(2) In the said notification, in the Table B Safety Standards for E-rickshaws and E-carts, for serial number 4 substitute the following 4 and 4 (a) namely:-

4	The requirements for construction and functional safety of battery-operated vehicle	AIS-038/2003	8 th October 2014 valid up to date of implementation of 4(a).
4 (a)	Performance requirements with regards to its electrical safety	AIS-156 (Part 1) *	1st April 2027

(3) In the said notification, in the Table B Safety Standards for E-rickshaws and E-carts, for serial number 6 substitute the following 6 and 6 (a) namely:-

6.	Traction batteries used in battery operated vehicles	AIS-048/2009	8 th October 2014 valid up to date of implementation of 6 (a)
6(a)	Performance requirements of a rechargeable electrical energy storage system (REESS)	AIS-156 (Part 2) *	1st April 2027

(4) In the said notification, in the Table B Safety Standards for E-rickshaws and E-carts, after serial number 7 and entries relating thereto in column 1 to 4, the following entries shall be inserted, namely: –

“8	Minimum requirement of starting gradeability	AIS 003 (Amd.1):2022	1 st April 2026
9.	Installation requirement of speedometer	IS 11827:2008	1 st April 2026
10.	Measurement of maximum speed on Chassis Dynamometer	AIS 041 (Rev.1): 2015	1 st April 2026
11.	(a) Performance requirement of windscreen	IS 2553 (Part 2) (revision 1) : 2019*	1 st April 2026
	(b) Performance requirement of windscreen wiper	IS 15802-:2008*	1 st April 2026
	(c) Performance requirement of windscreen wiping system	AIS-054:2004*	1 st April 2026
12.	Performance requirement of Controls, Tell Tales and indicators	AIS 071 (Part 1 and Part 2):2009*	1 st April 2026
13.	Turning Circle Diameter Requirement	IS 12222:2011	1 st April 2026
14.	Installation requirement of outer rear-view mirror (ORVM)	AIS-002 (Part 1) (Rev.2):2023 & Amd.1*	1 st April 2026
15.	External Projection	IS 13942:1994	1 st April 2026
16.	Overall dimension of (a) Driver Seat and (b) Leg space requirement for passengers	AIS 134:2016*	1 st April 2027

17.	Performance requirements with regards to EMI/EMC	AIS-004 (Part 3)	1 st April 2027
18.	(a) Performance requirements with regards energy consumption	AIS 039 (Rev.1)	1 st April 2027
	(b) Performance requirements with regards minimum range	AIS-040 (Rev.1)	1 st April 2027
19.	Performance requirements with regards to stability of the vehicle	In accordance with the standards provided under these rules.	1 st April 2027
20.	Performance requirements with regards to Closed loop & Encryption System	In accordance with the standards provided under these rules.	1 st April 2027

[*All applicable provisions for L5M and L5N category are to be followed for E-rickshaws and E-carts respectively.]”

[F. No. RT-11036/109/2024-MVL]

MAHMOOD AHMED, Add. Secy.

Note: The principal notifications was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number S.O. 1365(E), dated the 13th December, 2004 and lastly amended vide notification number S.O. 359 (E), dated the 27th January 2022.